<u>समाचार</u>

<u>एस.सी./एस.टी वर्ग के संकटापन्न व्यक्तियों को स्वीकृत होगी सहायता राशि</u>

<u>(आवेदक आवश्यक अभिलेखों के साथ कर सकते हैं आवेदन)</u>

कोरबा 10 जुलाई 2017 –अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय वर्ग के दिव्यांग, निराश्रित वृद्ध तथा अतिसंकटापन्न व्यक्तियों के प्रत्येक प्रकरण में कलेक्टर कोरबा अपनी वित्तीय अधिकार सीमा के अंदर अधिकतम 02 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करेंगे। इसके तहत इच्छुक आवेदक आवश्यक अभिलेखों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के नियम 7(ग) श्रेणी के प्रकरणों में ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय वर्ग के दिव्यांग, निराश्रितवृद्ध तथा अतिसंकटापन्न व्यक्तियों के प्रकरण सम्मिलित होंगे, और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में नियम 8 (ग) में दिए गए प्रावधान अनुसार राहत सहायता राशि का निर्धारण सक्षम अधिकारी कलेक्टर कोरबा द्वारा उक्त नियम में उल्लेखित अपनी वित्तीय अधिकार सीमा के अंदर अधिकतम 02 हजार रूपये तक की आर्थिक राहत सहायता राशि स्वीकृत करने का प्रावधान हैं। इच्छुक आवेदक आवश्यक अभिलेखों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>आवश्यक अभिलेख</u> – आवेदक आवेदिका अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. राशन कार्ड/आधार कार्ड/परिचय पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर अपना आवेदन करेंगे।